(1400/YSH/RU)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आईटम नंबर-2 – श्री फग्गन सिंह कुलस्ते।

… (व्यवधान)

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): सभापति महोदय, मैं भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री रामदास अठावले जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा-शर्तें नियम, 2023, जो 11 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) असम राइफल्स, हवलदार (जनरल ड्यूटी), अराजपत्रित, अननुसचिवीय समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के

भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) असम राइफल्स वारंट ऑफिसर (साइफर), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.2 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) असम राइफल्स (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक), समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2022, जो 14 जनवरी, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.3 में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर ट्रांसपोर्ट और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023, जो 9 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.89(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): सभापति महोदय, कुमारी प्रतिमा भौमिक जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, डॉ. एल. मुरुगन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 8ए – श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) अधिसूचना सं. 13/2023 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 14/2023 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो 20 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के आशय वाली दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

प्राक्कलन समिति
23वां से 25वां प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'एमपीएलएडी निधि योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(3) गृह मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
विवरण

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अंतिम की- गई-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा संस्थाओं में कार्यान्वित की जा रही आरक्षण नीति की समीक्षा' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
43वां से 46वां प्रतिवेदन

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022- 23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 43वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(1405/RAJ/SM)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
32वां से 38वां प्रतिवेदन

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

33rd to 35th Reports

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2022-23):-

1. Thirty-third Report on 'Action-Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the Twenty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Demands for Grants (2022-23) of the Ministry of New and Renewable Energy'.
2. Thirty-fourth Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of New and Renewable Energy'.
3. Thirty-fifth Report on 'Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Power'.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
20th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twentieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants for the year 2023-24'.

STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
24th and 25th Reports

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023):-

(1) Twenty-fourth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

(2) Twenty-fifth Report on Demands for Grants (2023-24) of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
विवरण

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
39वां से 42वां प्रतिवेदन

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'सतत फसल उत्पादन और मृदा उर्वरता बनाये रखने के लिए नैनो-उर्वरक' विषय संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(2) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(4) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Final Action Taken Statements

SHRI UDAY PRATAP SINGH (HOSHANGABAD): Sir, I beg to lay on the Table the following Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers (2021-22):-

(1) Thirty-fifth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Availability of medicines and medical devices for COVID Management' relating to the Department of Pharmaceuticals.

(2) Thirty-sixth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Department of Fertilizers.

(3) Thirty-seventh Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-third Report

(Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for 10 Grants (2022-23)' of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

(4) Thirty-eighth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Recommendations of the Committee contained in their Thirty-fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2022-23)' of the Department of Pharmaceuticals.

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
38वां से 40वां प्रतिवेदन

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय, मैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'वाहन क्षेत्र में मंदी – इसके प्रभाव और पुनरूद्धार के लिए उपाय' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। S…(व्यवधान)

1408 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, कुमारी राम्या हरिदास,
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य
माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने विषयों के अनुमोदित पाठों को 20 मिनट के अंदर विस्तृत रूप से सभा पटल पर रख दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

Re: Need to run a train from Gorakhpur to Prayagraj via Bhatni, Salempur and Varanasi

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): गोरखपुर-भटनी-सलेमपुर - वाराणसी होते हुये प्रयागराज तक जाने वाला रेल खण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिस पर लाखो यात्री यात्रा करतें हैं। गोरखपुर-वाराणसी व प्रयागराज व्यापारिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से सुविख्यात हैं। महोदय, लाखों लोग गोरखपुर में गोरखनाथ मन्दिर, मर्यादा पुरूषोतम प्रभु श्री राम के पुत्र कुश की नगरी कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में पुजा अर्चना करने आते हैं। इसी प्रकार महान संत कबीर दास जी की नगरी संत कबीर नगर एंव देवरिया में देवरहवा बाबा की तपो भूमि का भ्रमण, दर्शन एवं पूजन करने आते हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, संतकबीर नगर, तथा बिहार प्रान्त के गोपालगंज व सिवान के लाखों लोग रोजाना वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर एंव भगवान बुद्ध की तीर्थ स्थली सारनाथ में पूजन करने जाते हैं। इसी प्रकार गंगा यमुना सस्वती तीनों नदियों का संगम व तीर्थ नगरी प्रयागराज में स्नान करने आते हैं।

व्यापार की दृष्टि से भी इन जिलों के लोग अपने कृषि उत्पाद जैसे पान, फल, फूल आदि को बड़े बाज़ार में बेचने तथा अन्य व्यापारिक कारणों से हजारों लोग इस रेल खण्ड पर प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस रेल खण्ड पर कोई महत्वपूर्ण रेल गाड़ी न होने के कारण लाखों यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि गोरखपुर-भटनी-सलेमपुर वाराणसी होते हुये प्रयागराज तक शताब्दी रेल गाड़ी या कोई अन्य सुपर फास्ट कुर्सीयान रेल गाड़ी का संचालन किया जाये जिससे इस क्षेत्र में व्यापार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

(इति)

Re: Need to expedite construction of International Airport at Bihta in Patna, Bihar

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र अंतर्गत पटना ज़िला के बिहटा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफी दिन पूर्व दी गयी है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है। अधिगृहित जमीन की बाउंडरी भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।

केन्द्र सरकार से स्वीकृत बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एनएच 30 पटना-बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा- सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का हिस्सा भी है, उसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बिहटा में IIIT, नाइलेट, ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, NIT, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, ड्राई पोर्ट एवं कई आद्योगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यरत है या निर्माणाधीन है। राजधानी पटना का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है।

उसके अलावा एन एच 30 पटना बक्सर, बिहटा सरमेरा, रामनगर कन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा एयरपोर्ट से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सरल, सुगम और तेज संपर्क स्थापित होगा। उपरोक्त वर्णित बातों से स्वतः स्पष्ट है कि एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वांछित अहर्ताएं बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब समझ से परे है। अतः माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु द्रुत कार्रवाई की जाय।

(इति)

Re: Need to establish a regional Centre of the Sangeet Natak Akademi, Indian Council for Cultural Relations and Rashtriya Natya Vidyalaya in Jharkhand

श्री संजय सेठ (राँची): झारखंड सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश है। विविध संस्कृति के बावजूद यहां की एकता बेमिसाल है। राज्य में 32 जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। इन सबकी अलग-अलग सांस्कृतिक विशेषताए हैं। अलग रहन सहन है। झारखंड नृत्य, संगीत और वाद्य की समृद्ध विरासत वाला प्रदेश है, इसलिए यहां कहा जाता है नाची से बाची। इसके अलावा लोक चित्रकला, कोहबर, सोहराई, जादूपटा आदि की विश्वभर में लोकप्रिय बनने की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में ऐसी कई कलाएं हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। झारखंड प्रदेश के कई कलाकार अपनी कला के माध्यम से देशभर में पहचान बना चुके हैं और ऐसे कई कलाकार हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, थिएटर में नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान है। संसाधनों की कमी के कारण ये कलाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित नहीं हो पा रही हैं। ऐसी कला और कलाकारों को तत्काल संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि झारखंड में संगीत नाटक अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR)तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र खोला जाए, ताकि हमारी समृद्ध संस्कृति और कला सुरक्षित रह सके।

(इति)

Re: Need to construct ROBs in Darbhanga district, Bihar from CRIF under Setu Bandhan Programme

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): दरभंगा शहर उत्तर बिहार का प्रमुख शहर और मिथिला की हृदयस्थली को जाम से मुक्ति हेतु आदरणीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने सेतु बंधन योजना अन्तर्गत (सीआरआईएफ) फंड से यथाशीघ्र आरओबी निर्माण करने की घोषणा की थी।

आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि दरभंगा शहर में प्रतिदिन लोगों को भीषण जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कि जनहित में दरभंगा शहर में सेतु बंधन योजना अन्तर्गत सीआरआईएफ (सेन्ट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) से पांच आरओबी का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ हो इस हेतु संबंधित पदाधिकारी को दिशा-निर्देश प्रदान किया जाय ताकि जनता जनार्दन की चिरलंबित आकांक्षा को पूर्ण किया जा सके।

(इति)

Re: Need to provide a halt station near Pateri village in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा,बिहार अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में एक महत्वपूर्ण रेलखंड “महाराजगंज-मशरक” है। इस रेल खंड पर एक पटेढ़ी ग्राम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया बाबू जो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध और आदर्शवादी नेता थे, इसी ग्राम के थे। इतने प्रसिद्ध ग्राम और इसके आस-पास के दर्जनों ग्रामों की जनता को रेल मार्ग से यात्रा करने के लिए नजदीक में एक रेलवे स्टेशन की अतिआवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र के लोग कम खर्च में रेल मार्ग से सुगमता पूर्वक यात्रा कर सके। अत : रेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपर्युक्त रेलखंड पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महामाया बाबू के नाम पर पटेढ़ी ग्राम के पास,एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाया जाये ताकि इस पूरे क्षेत्र की जनता को रेल यातायात की सुविधा मिले।

(इति)

Re: Need to upgrade Prayagraj Airport as International Airport and start flight services from Prayagraj to various cities in India

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): मैं आपका ध्यान जनपद प्रयागराज उ०प्र० की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इस जनपद प्रयागराज में एअरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एअरपोर्ट से लगभग 16 फ्लाइट आवागमन कर रही हैं, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे निम्नलिखित कार्य करने के लिये विनम्र निवेदन है:-

प्रयागराज एअरपोर्ट पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एअरपोर्ट है चूँकि उत्तर प्रदेश एक आबादी बाहुल्य राज्य है। इस लिहाज़ से भी प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इसका आकार बढेगा तो यहॉ रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, यहां पर पहले से ही मिडिल ईस्ट के लोग कार्य करते हैं और पूर्वांचल से सटे हुए जिले भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रयागराज में आने वाले कुम्भ जो कि 2025 में होना है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा उसको भी दृष्टिगत रखते हुए प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय आकार देने की जरूरत है। प्रयागराज एअरपोर्ट से दिल्ली और दिल्ली से प्रयागराज विमान यात्रा के लिये सुबह 7-9 बजे एवं शाम को 7-9 बजे के आसपास विमान सेवा शुरू की जाने की विशेष आवश्यकता है। आने वाले महाकुम्भ को ध्यान में रखते हुए यंहा यह भी मेरे द्वारा मांग की जाती है क्योंकि महाकुम्भ में लोगों की विशेष आस्था है तो इसमें शामिल होने के लिये लोग सम्पूर्ण भारत के अलग अलग राज्यों से आयेंगे और उन्हें यात्रा करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आये इसके लिये इन रुटस जैसे प्रयागराज-कोलकाता-प्रयागराज, प्रयागराज-नागपुर-हैदराबाद-नागपुर-प्रयागराज, प्रयागराज-आगरा –जयपुर-आगरा और प्रयागराज-पटना- प्रयागराज पर भी विमान यात्रा शुरू की जाए। प्रयागराज एअरपोर्ट पर लेंडिंग की पर्याप्त सुविधाएं हैं लेकिन अभी तक रात में विमानों का आवागमन शुरू नहीं किया गया है क्योंकि सेना की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। मेरा माननीय नगरिक उड्डयन मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा ऊपर उल्लिखित सभी कार्यों को सम्बंधित अधिकारी से पूर्ण करवाने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to extend intercity express between Lucknow and Varanasi upto Bhatni Railway Junction in Deoria district, Uttar Pradesh

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं अपने लोक सभा क्षेत्र देवरिया के सम्बंध में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमा का अंतिम जिला है और हमारे क्षेत्र में ही भटनी रेलवे जंक्शन है जहाँ से ट्रेनें सीधे बाहर की तरफ जाती है और डाइर्वट होकर बलिया, मऊ होते हुए वाराणसी तक जाती है। गोरखपुर से एक इंटरसिटी ट्रेन लखनऊ जाती है और वापस आती है और गोरखपुर से लगा जिला देवरिया उससे वंचित रह जाता है। इस ट्रेन को भटनी जंक्शन तक चलाया जाए, और उसके लिए आवश्यक है कि भटनी में एक वाशिंग किट की स्थापना की जाए, जिससे कि उक्त जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों का ठहराव हो सकें। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह करता हूँ कि उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। (इति)

Re: Need to provide employment to local people and women in commercial establishments along newly developed Delhi-Mumbai Express highway in Dausa Parliamentary Constituency

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा (राजस्थान) में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का प्रथम भाग पूर्ण हुआ। यह कार्य माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का प्रयास है। इस हाइवे के साथ विश्राम क्षेत्र विकसित किए हैं। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होनी है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्थानीय नागरिकों को रोजगार देने हेतु विभिन्न कार्यों में जैसे व्यवसायिक दुकान, टोल सर्विस के कार्य, सफाई व्यवस्था, खानपान सुविधा क्षेत्र जैसे अनेक रोजगार सृजित कर स्थानीय बेरोजगारों को अवसर दिया जाए। जिन किसानों की भूमि सड़क निर्माण में गई है उन्हें रोजगार दिया जाए । प्रत्येक विश्राम क्षेत्र में महिला संघ सहायता समूह को एक स्थान निर्धारित कर उनके उत्पाद को बेचने का मौका दिया जाए। बजट घोषणा में स्वयं सहायता समूह को सक्षम करने की पहल का आदर होगा। दौसा जिले में जनजाति के लोग पलायन से भी बच सकेंगे। टोल प्रबंधन में एक स्थान पर पूर्ण रूप से महिलाओं को यह जिम्मेदारी दी जाए।

(इति)

Re: Need for doubling of Lucknow-Sitapur Railway Section

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): मैं सरकार का ध्यान NER रेलवे अंतर्गत लखनऊ-सीतापुर रेलखंड की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। NER रेलवे अंतर्गत लखनऊ-सीतापुर रेलमार्ग के दोहरीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि बुड़वल- सीतापुर, शाहजहाँपुर-बरेली रेलखंड पर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सीतापुर-लखनऊ रेलमार्ग का दोहरीकरण करने से एक नया रूट रेलवे के लिए खुलेगा। जिस पर बहुत सारी सवारी गाड़ियों का आवागमन बढ़ाया जा सकता है। अतः मैं रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि लखनऊ-सीतापुर रेलमार्ग के दोहरीकरण कराने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to simplify software system of MGNREGS

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरा विषय मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले में मनरेगा योजना के अन्तर्गत आवेदन करने में होने वाली परेशानियों के संबंध में है। जैसा कि हम जानते हैं कि MNREGA जो एक रोजगार गारंटी योजना है और इसके सॉफ्टवेर में सिस्टम अपडेट के कारण लेबर और स्किल मस्टर डिस्प्ले नहीं हो पाता है जिससे अमरेली के महुवा तालुके के डुडास, जांबुड़ा, कोंजली और कालेला गाँव में मानव दिन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के स्किल और मटीरियल्स के काम में वेज लिस्ट तक एंट्री की गई है लेकिन First Sign में इस एंट्री के डिस्प्ले न होने के कारण इन व्यक्तिगत कार्यों का पेमेंट नहीं हो पाता है। सिस्टम अपडेट होने से अमरेली जिले के खांभा और राजुला तालुके में स्किल मस्टर रोल फिल और डिस्प्ले भी नहीं हो पाता है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में हाजरी से E- मस्टर रोल फिल करते समय edit का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता और पेमेंट करने मे भी समस्या आती है जिसके कारण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता है।

अतः मै माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि इस सॉफ्टवेर की प्रक्रिया को सरल बनाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Proposed Amendment in Offshore Areas Mineral (Development & Regulation) Act, 2002

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): The Government of India proposes a new legislation (amendments) in the Offshore Area Mineral (Development & Regulation) Act, 2002 that allows sand mining in coastal regions. According to the proposed plan, there is black sand placer deposit which can generate 120-billion-dollar income from the coast of Kerala. It is found in the area upto 100 meters depth from the coastal area. However, these unique resources of Kerala are becoming privatised. Kerala's offshore is also peculiar with presence of construction sand. For the fishermen, the land that was hitherto public property is now becoming the property of corporates. All the important fishing centres are located in the off seas of Kerala. Some of these are also home to India's richest marine species. About 3800 trawlers and more than 500 fibre canoes in Kerala are playing in this sector. We have to consider the dilapidated conditions in the coastal areas where the indiscriminate mining in the coastal areas took place that was done by public sector. If the mining activities are given to private players, the impact would be tragic. Considering the fragile environmental scenario and livelihood of thousands of people, the proposed plan to be reconsidered.

(ends)

Re: Resumption of a daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): There is a demand by a large number of public for direct train connection between Chennai and Tiruvannamalai. Tiruvannamalai Railway Station in Tamil Nadu is 125 years old. The Passenger Train from Tamnbaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007 which temporarily disrupted the railway connectivity to Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. Needless to reiterate that the Temple City of Tiruvannamalai attracts lakhs of visitors for Darshan of Lord Arunachaleshwara and Girivalam. Hon'ble Railway Minister, may, therefore, take necessary action to resume a daily direct train between Chennai to Tiruvannamalai without further delay.

(ends)

Re: Centennial Birth celebration and a commemorative postal stamp for social reformer Shri L. Elayaperumal

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): The Centenary of one of Tamil Nadu's famous Dalit leaders and social reformer Shri L. Elayaperumal (1924-2005) begins in June 2023. He was a three time member of Lok Sabha and chaired the first ever National Commission set up by the Union Government to inquire into the educational and economic condition of the untouchables. He toured all over the country, and submitted his report 'Untouchability: Economic and Educational Development of Schedule Castes' offering valuable recommendations for the uplift of the untouchables in 1969. This report was the major reasons for the enactment of The Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. After Babasaheb Dr Ambedkar, he was the only leader who travelled all over India to know sufferings of Dalits and gave his voice to solve them. I request the Union Government of India to recognise his invaluable service and celebrate his Centenary. The Union Government should issue a commemorative postal stamp bearing his image.

(ends)

Re: Need to enhance the minimum pension of Pensioners under the EPS-95

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 04.10.2016 के निर्णय में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस 95) के तहत पिछले 12 महीनों के वास्तविक वेतन/मजदूरी के आधार पर पेंशन दिए जाने का निर्णय दिया था जबकि वर्तमान में EPS-95 पेंशनभोगी को 1170 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को मात्र 1170 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिल रहे हैं और इस नाममात्र की राशि से, सेवानिवृत्ति के बाद, उम्र के साथ चिकित्सा व्यय बढ़ जाने से, परिवार के सदस्य पर दवाओं, भोजन और दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। जबकि इतनी कम पेंशन मिलने से अपने पूरे महीने का खर्चा उठाना भी मुश्किल कार्य होता है जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इन EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन कम से कम 9000 रुपये प्रति माह किये जाने के साथ ही साथ, साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की आवश्यकता है और वृद्धावस्था पेंशनरों क राहत देने लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार करने और इन पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत दिए जाने के लिए डॉ भगत सिंह कोश्यारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ ही साथ लागू किये जाने और इनको EPS-95 पेंशनभोगी डीए के साथ 9000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए योजना को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के वर्षों के दौरान सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने के लिए ईपीएस-95 को संशोधित और कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू कर ईपीएस-95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाय।

(इति)

Re: Construction of Greenfield four-lane road from Bidupur to Purnia in Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य अन्तर्गत विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज- पूणियाँ तक पथ निर्माण नहीं होने से उन क्षेत्रों के लोगों का आर्थिक/सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल की आबादी को राजधानी पटना के लिए पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर के माध्यम से आना पड़ता है, जिसका एलाइनमेंट सीधा नहीं होने के कारण काफी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जी०टी० रोड से पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर को जोड़ने के लिए प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे पर अवस्थित विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज होकर पूणियाँ तक नया पथ बन जाने से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूणियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों की सम्पर्कता में व्यापक सुधार होगा। ये जिले पूर्वी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित है, जिनकी राजधानी पटना से सुगम सम्पर्कता होने से विकास के आयाम को नयी गति मिल जाएगी और पटना आने-जाने के लिए 133 कि०मी० कम दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त पथ निर्माण के लिए बिहार के दस सांसदों ने माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से मिलकर पूर्व में भी अनुरोध किये था । अनुरोध है कि जनहित में विदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर कशुनगंज-पूणियाँ तक ग्रीनफील्ड फोरलेन योजना से पथ का निर्माण कराया जाय।

(इति)

Re: Plight of daily wage workers under various departments of Government of Jammu & Kashmir

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): The plight of more than 60 thousand Contractual workers, Contingent Paid Workers (CPW), HDF (Hospital Development Fund) workers, ad-hoc workers, CIC operators, Homeguards, Teachers of Tribal Seasons School, Zonal coordinators under Samagra Shiksha, Contractual Health Workers & Asha workers is worth noting. They have been sweating hard for decades in various Departments of Jammu & Kashmir. These workers are hired on need basis by Departments like; Jal Shakti, Power Development, Health and Education, Rural Development & Panchayati Raj etc. Their constant protests over the last several months have remained unheard. They are demanding regularization and an increase in their salaries in accordance with Minimum Wages Act. The local response has been highly ineffective as demands and well being of our workers have not been heard. Therefore, I strongly urge upon the Government to address the grievances of the daily wage workers by fast-tracking their regularization by fixing a reasonable time frame for their regularization, absorbing them as permanent employees in the Department and issuing orders for their wages as per Minimum Wages Act. (ends)

Re: Grant of approval of doubling of Ambalapuzha-Thuravur stretch of railway line

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): The final approval for the doubling of Ambalappuzha – Turavur stretch of Kayamkulam –Ernakulam railway line is still pending with the Railway Board. It has been informed from the Railway Board that proposal for final approval has been placed before the NITI Aayog for clearance. Of the 115 Kilometers stretch of Kayamkulam – Ernakulam Coastal Line, Kayamkulam – Ambalappuzha (45 Kilometers) has already been commissioned and the final approval for Turavur – Kumbalam (15 Kilometers) and Kumbalam – Ernakulam (8 Kilometers) has been obtained from the Railway Board. However, complete utility of the coastal line could be ensured only after the completion of the doubling of Ambalapuzha – Turavur (46 Kilometers) stretch. On completion of doubling, this line would be helpful in emergency situations to commute between Ernakulam and Thiruvananthapuram if the services via Kottayam are disrupted. Hence, delaying the approval for Ambalapuzha – Thuravur stretch would only help to lay idle the already created infrastructure. Hence, I urge upon the Government to intervene in this matter to ensure early clearance for the final approval for the doubling of Ambalapuzha – Thuravur stretch .

(ends)

जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट – सामन्य चर्चा
और
जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट - अनुदानों की मांगें
और
जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र - अनुदानों की अनुपूरक मांगें
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 22 टू आइटम नम्बर 25 एक साथ लिए जा रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट, माननीय मंत्री ज।

…(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): आइटम नम्बर 22, आइटम नम्बर 23, आइटम नम्बर 24, आइटम नम्बर 25, ये आवश्यक हैं, जो एजेंडा में हैं।…(व्यवधान) सभापति महोदय, इन्हें चर्चा करा कर पास करा दें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें। "

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि अनुदानों की अनूपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

माननीय सभापति : श्री जुगल किशोर शर्मा।

(1410/KN/RP)

1410 बजे

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया।... (व्यवधान) महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी और इनकी जितनी भी टीम है, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।... (व्यवधान) साथ ही, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बजट सदन में प्रस्तुत किया है।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय बजट के साथ-साथ जम्मू कश्मीर का इस बार का जो बजट आया है, वह बहुत ही सराहनीय बजट है।... (व्यवधान) यहां पर विपक्ष के जो कांग्रेसी सांसद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है।... (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सीटों पर चले जाएं और जम्मू कश्मीर की बात आगे ले जाएं।... (व्यवधान) पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा बजट केन्द्र सरकार ने प्रदान किया है।... (व्यवधान) वित्तीय बजट में बहुत सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया है, जिससे देश के हर नागरिक को फायदा मिल सकता है।... (व्यवधान) मैं विस्तार में न जाते हुए, कुछ खास बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।... (व्यवधान) मैं रेलवे, जनधन योजना, नाबार्ड द्वारा किसानों की आर्थिक मदद, मनरेगा के अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिन पर मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन विशेष तौर पर मैं जम्मू कश्मीर के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूं।... (व्यवधान) जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है।... (व्यवधान) लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि जम्मू कश्मीर के लिए... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्याओं 1 से 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 8, 10, 17, 22, 24, 30, 32, 34 और 36 के सामने दर्शाये गये मांग शीर्षो के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शाई गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

(1415/VB/NKL)

माननीय सभापति : अब मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – द्वितीय बैच सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है –

"कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16, 18 से 30, 32, 35 से 38, 41 से 46, 49, 51, 52, 55 से 58, 60 से 62, 64 से 66, 68, 69, 71, 76 से 79, 85, 86, 88 से 95, 98, 100 और 102 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – द्वितीय बैच पारित हुईं।

…..

… (व्यवधान)

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक

1416 बजे

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 26.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

.....

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 27.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक

1418 बजे

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 28.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति जी, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

.....

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 29.

माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(1420/PC/NKL)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक

1421 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 30,
माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 31,
माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पंकज चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

1424 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 22 मार्च, 2023 से नव संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ हो रहा है। नव संवत्सर को अलग-अलग प्रदेशों में चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा, उगादी और चेती चंड आदि अलग-अलग पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम इस अवसर पर सदन की ओर से देश समस्त जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।

इस तिथि की महत्ता को देखते हुए अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों से आग्रह प्राप्त हुआ है कि दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन में अवकाश घोषित किया जाए।

मुझे विश्वास है कि आप नव संवत्सर के अवसर पर सदन में अवकाश रखने पर सहमत होंगे।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : थोड़ा और काम हो जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ और काम होने दीजिए। कृपया करके बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। बजट का यह महत्वपूर्ण सत्र है। कृपया करके आप भी बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1424 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 23 मार्च 2023 / 2 चैत्र 1945 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।